


जाहिर सूचना

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्रीपीजी परीक्षा - 2012 में एसटीएफ द्वारा दायर प्रकरण अपराध क्र. 14/13 जिसमें 12 अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया तथा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी आदेश क्रमांक व्यापम/5-प-1/28/1314/2015 भोपाल, दिनांक 20.02.2015 द्वारा 12 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रकरण दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय में दायर याचिका 13304/2015 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2016 के परिपालन में उपरोक्त उल्लेखित 12 अभ्यर्थी गण जिनके प्रकरणों की जाँच कार्यवाही की जा रही है। जिनके नाम निम्नानुसार है -

क्र.	नाम	रोल नं.
1.	डॉ. अनुराग जैन	102647
2.	डॉ. राघवेन्द्र प्रताप ठाकुर	101450
3.	डॉ. सनी जुनैजा	101054
4.	डॉ. आशीष आनन्द गुप्ता	100194
5.	डॉ. समीर मंडलोई	100299
6.	डॉ. नेहा शिवहरे	100238
7.	डॉ. सोमेश माहेश्वरी	100953
8.	डॉ. आयुष मेहता	101509
9.	डॉ. अमित जैन	101709
10.	डॉ. प्रखर सिंघल	102527
11.	डॉ. अविजीत सिंह खनूजा	102629
12.	डॉ. निष्ठा अग्रवाल	101339

सभी सम्बन्धितों को कारण बताओ सूचना पत्र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा दि. 13/12/16 को स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी दि. 28/12/16 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पीईबी कार्यालय में स्थित कक्ष क्रमांक 23 में प्रातः 11:00 बजे समिति के समक्ष लिखित एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। उल्लेखित तिथि एवं समय पर यदि संबंधित अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं तो यह माना जावेगा कि इस संबंध में आप अपना पक्ष रखने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए लिया गया निर्णय आपके मान्य एवं बंधनकारी होगा तथा इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा।


संचालक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)